



कार्यालय प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CGST & CENTRAL EXCISE
29, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन (एम.पी.)
29, Bharatpuri Administrative Area, Ujjain (M.P.)
Phone No.0734-2527098, Fax No. 0734-2511109
ईमेल: supdt.confidential@gmail.com

प.क्र. II(03)01/CON/T&P/UJN/18-19

उज्जैन, दिनांक 22.08.2019

स्थापना आदेश क्रमांक/ESTABLISHMENT ORDER No. 07/2019

दिनांक 22.08.2019

सी जी एस टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उज्जैन में अधीक्षक के ग्रेड पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी का आदेश तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण और तेनाती का आदेश दिया जाता है: -

The following transfer and posting in the grade of Superintendent (Group-B Gazetted) of Ujjain CGST & Central Excise Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

क्र.स. S.No.	नाम श्री/श्रीमती Name Shri/Smt.	कहाँ से /From	कहाँ पर / To
1.	रवि टंडन Ravi Tandon	लेखा परीक्षा, मुख्यालय, उज्जैन Audit, Hqrs, Ujjain	रेंज - नागदा, प्रभाग -II, उज्जैन Range-Nagda, Division-II, Ujjain

2. संबंधित प्रभाग प्रमुख द्वारा डिवीजन के सुचारु कामकाज के लिए आवंटित किए जाने वाले किसी भी प्रभार के मामले में, संबंधित क्षेत्राधिकार अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उज्जैन से सहमति लेने के बाद आवंटित किया जाना चाहिए। ऊपर उल्लेखित अधिकारी अपनी तेनाती के नए स्थान पर तत्काल कार्य भार ग्रहण करें।

In case of any charge to be allocated for smooth work functioning of the Division by the respective Divisional head, the same should be allotted after taking concurrence from the respective jurisdictional Additional Commissioner/ Joint Commissioner CGST & C.Ex., Ujjain. The officer mentioned above must joined at their new place of posting immediately.

3. स्थानान्तरण किये जाने वाले आदेश के तहत अधिकारी अपनी तेनाती के स्थान से कार्यभार मुक्ति के समय तथा नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते समय समुचित रूप से अपना प्रभार सोपेंगे और ग्रहण करेंगे। सभी तत्काल प्रकृति के तथा समयबद्ध मामलों की सूची तैयार की जानी चाहिए और कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सोपी जानी चाहिए।

The officer under order of transfer should properly hand over and take over the charge at the time of relieving and joining from their place of posting. The list of all urgent and time bound matters, should be prepared and the copy of the same be handed over to the officer taking over the charge.

6. प्रधान आयुक्त सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनुमोदन से जारी।

This issues with the approval of Principal Commissioner, CGST & Central Excise, Ujjain.

(एम. पी. मीणा/ M.P. MEENA)

अपर आयुक्त (का/स) / Addl. Commissioner (P&V)